


(93)



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2018 पुनरीक्षण

प्रियगामी - 3857/2018/उमा/श्रीराम

आनन्द मोहन आत्मज चन्द्रमोहन जुत्थी
प्रेम भवन, जीवन मार्केट, ए. बी. रोड, गुना

— आवेदक

बनाम

- (1) श्रीमती मालती पुत्री स्व. राजेन्द्र जुत्थी
- (2) श्रीमती सरोज विधवा पुत्री स्व. राजेन्द्र जुत्थी
- (3) श्रीमती रेणु विधवा पुत्री स्व. राजेन्द्र जुत्थी
- (4) श्रीमती रीना पुत्री स्व. राजेन्द्र जुत्थी
समरत निवासीगण प्रेम भवन, जीवन मार्केट,
ए.बी. रोड, गुना
- (5) प्राणनाथ पुत्र जगजीवन नाथ जुत्थी
- (6) अरुण पुत्र प्राणनाथ जुत्थी
- (7) अशोक पुत्र प्राणनाथ जुत्थी
समरत निवासीगण प्रेम भवन, जीवन मार्केट
ए.बी. रोड, गुना (म.प्र.)

— अनावेदकगण

- (8) प्राणि टिकू पल्ली स्व. एम. एन. टिक्की
निवासी बेलापुर नवी मुम्बई
- (9) श्री मधु रैना पल्ली श्री रवि रैना
निवासी 32, जलवायु विहार, जुआरी नगर
गोवा
- (10) पटवारी मेहरबान सिंह, तहसील गुना

अनुविभागीय अधिकारी, गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/2012-13 अपील में
पारित आदेश दिनांक 16.05.2018 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50
म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

माननीय न्यायालय,


आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत
करता है :-

क्रमशः.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3857/2018/गुना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को कलेक्टर जिला गुना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> संदर्भ</p> <p><u>कलेक्टर जिला गुना</u></p> <p>✓</p>	